


20/12/19

पञ्चवली पेच हुई। कमील जार्थी मय माधिवक्ता के अनुपाखीत। कमील व जार्थी के लिए न्यायालय में विधिक रूप ले रुक-रुक गलीन बार माबाज भगवाइ गई। इमिडे उपरान्त श्री जार्थी मय माधिवक्ता के उपखीत नहीं हुए। अतः जार्थी का जार्थना फर सदम-बाजरी सदम-पैरवी में खरिज दिया जाता है। पञ्चवली फेशस (शुमार होकर नम्बर ले कम होकर राखित इफ्तार हो।


उपखण्ड अधिकारी
नाराड़ा, जिला-उदयपुर (राज.)